

न्यायालय कलेक्टर, जिला-सीधी म0प्र0
प्रकरण क्रमांक / 0001 अ-19(3)/2020-21

वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सीधी(म0प्र0)।

द्वारा:- कार्यालय महाप्रबंधक म0प्र0 सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना
क्रियान्वयन इकाई।आवेदक।
बनाम

मध्य प्रदेश शासन.....अनावेदक।

आदेश

(दिनांक, 29 जुलाई 2020 को पारित)



महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन
इकाई सीधी के पत्र क्रमांक /1386/तक:ग्रासप्रा./2020 सीधी दिनांक 11.06.2020 प्रेषित कर
नवीन सड़क निर्माण ग्राम मायापुर, खुटेली, लौआर रोड से बिछरी के वन क्षेत्र से गुजरने वाले भागों
में डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये/चिन्हित कराने
बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने हेतु लेख किया गया।

2. उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सिहावल से प्रतिवेदन मंगाया गया।
तहसीलदार बहरी के द्वारा ग्राम मायापुर खुटेली तहसील बहरी की शासकीय आराजी क्रमांक
460 रकबा 23.11 हे० में से 1.68हे० भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिये इशतहार का प्रकाशन
करते हुये आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने पर म्याद अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. प्रस्तावित आराजी ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से
सहमति प्राप्त किया गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटेली जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम पंचायत
की बैठक दिनांक 26.06.2020 को चयनित शासकीय आराजी क्रमांक 460 रकबा 23.11 हे० में
से 1.68हे० में डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध
कराये/चिन्हित कराने बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने हेतु लेख किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी सिहावल के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2020 में
ग्राम मायापुर खुटेली तहसील बहरी की शासकीय आराजी क्रमांक 460 रकबा 23.11 हे० में से
1.68हे० भूमि डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध

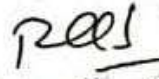
Collector
Dist. Seoni (M.P.)

कराये/चिन्हित कराने बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने की अनुशंसा की गई है।
प्रस्तावित रकवा को नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है।

5. प्रकरण में संलग्न खसरा नकल वर्ष 2019-20 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम मायापुर खुटेली की आराजी क्रमांक 460 रकवा 23.11 हे० म०प्र० शासन मद अंकित अभिलेख है।

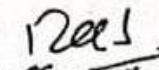
6. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार, क्रमांक-2 की कण्डिका 5 में राज्य शासन के अन्य विभागों को भूमि अन्तरित किये जाने के लिये प्रावधानित किया गया है। प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक 460 रकवा 23.11 हे० में से 1.68हे० बंटित नहीं की जा रही है, शासकीय विभाग को अन्तरित की जा रही है, जिससे बाजार मूल्य के अनुसार भूमि की कीमत नहीं ली जायेगी बल्कि निःशुल्क अन्तरित की जायेगी।

7. अतएव उपखण्ड अधिकारी सिहावल के प्रस्ताव अनुसार तहसील बहरी के पटवारी हल्का खुटेली के ग्राम खुटेली की प्रस्तावित शासकीय आराजी 460 रकवा 23.11 हे० में से अंश रकवा 1.68 हे० भूमि वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सीधी, जिला सीधी को निःशुल्क अन्तरित की जाती है।


(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
Collector
District Sidhi (M.P.)
जिला-सीधी (म०प्र०)

पृष्ठा० क्रमांक ०००१/अ-19(3)/2020-21
प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डलाधिकारी, सीधी को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई सीधी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपखण्ड अधिकारी सिहावल।
4. तहसीलदार, बहरी की ओर सूचनार्थ। अभिलेख दुरुस्त कर खसरे की प्रति 07 दिवस के अंदर भेजे।


Collector
District Sidhi (M.P.)
जिला-सीधी (म०प्र०)